

जब तक सुप्रीम कोर्ट नयिम तय नहीं करती तब तक कार्मकि वभिग दलिली लेफ्टनैट गवर्नर के पास रहेंगी : केंद्र

चर्चा में क्यों?

दलिली के मुख्यमंत्री अरवदि केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और लेफ्टनैट गवर्नर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार कार्मकि वभिग का नयित्रण उन्हें सौंपने से इनकार कर रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सेवा संबंधी मामलों पर कोई अंतिमि रुख अपनाना कानून के खिलाफ होगा क्योंकि यह मामला अभी भी शीर्ष अदालत के समक्ष लंबति है।

महत्त्वपूर्ण बदि

- लेफ्टनैट गवर्नर अनलि बैजल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह कार्मकि वभिग पर तब तक नयित्रण बनाए रखेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की नयिमति खंडपीठ द्वारा गृह मंत्रालय (MoH) की 2015 की अधिसूचना पर नयिम नहीं बना लिया जाता जिसके तहत उन्हें दलिली सरकार के नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर नरिणय लेने का अधिकार दिया गया है।
- गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने केजरीवाल के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि "गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को दलिली सरकार के अधिकारों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश के किसी भी हसिसे को नज़रअंदाज़ करने की सलाह नहीं दी है। यह बयान गुमराह करने वाला है।"
- मंत्रालय ने कहा कि उपराज्यपाल को सरिफ उनकी ओर से संदर्भति मामले पर ही कानून का पालन करने की सलाह दी गई है।
- गृह मंत्रालय के मुताबकि यह सलाह कानून मंत्रालय की उस राय पर आधारति है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की संवधान पीठ ने मामला उचति नयिमति पीठ के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही यह संवधान के अनुच्छेद 145 (3) के प्राधानों के मुताबकि है।

पृष्ठभूमि

- उल्लेखनीय है कि दलिली सरकार की शक्तियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 4 जुलाई को दिये गए ऐतहासकि फैसले के कुछ घंटों बाद ही दलिली सरकार ने नौकरशाहों की पोस्टिंग-ट्रांसफर की नई व्यवस्था लागू की थी लेकिन कार्मकि वभिग ने इसे मानने से इनकार कर दिया।
- वभिग का कहना है कि 21 मई, 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार, संवधान के अनुच्छेद 239 और 239AA के अंतर्गत कार्मकि वभिग दलिली वधानसभा के दायरे में नहीं आता और तदनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली के पास कार्मकि वभिग के संबंध में कोई कार्यकारी शक्ति नहीं होगी। इस अधिसूचना को दलिली उच्च न्यायालय द्वारा भी 4 अगस्त, 2016 के नरिणय के माध्यम से कायम रखा गया है।